

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति बाद सं०-102/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री जनेश्वर रजवार वगैरह—विक्रेता
प्रति

श्रीमती सिमती कुमारी—क्रेता
आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री (1) श्री जनेश्वर रजवार, पिता-स्व० नानू रजवार, (2) ककमणी देवी, पति अनिल रजवार, ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-सोह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता, श्रीमती सिमती कुमारी, पति-आलोक कुमार, ग्राम-हसकर, पोस्ट-सोह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंता के साथ एवं आम इस्तोहार का विधिगत तालिका कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 45/दिनांक 02.02.2022 के प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के स्वयं एवं अन्य के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ठ सं०-20/4 पर मांग चलता है। विक्रेता जाति के रजवार (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के घन्सर (अनुसूचित जाति) के सदस्य है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण रखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंता के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री (1) श्री जनेश्वर रजवार, पिता-स्व० नानू रजवार (2) ककमणी देवी, पति अनिल रजवार, ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-सोह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने श्रीमती सिमती कुमारी, पति-आलोक कुमार, ग्राम-हसकर, पोस्ट-सोह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चीहदी
नारायणपुर	348	19	466	0.08	उ०-मनदीप रजवार, द०-विक्रेता द्वारा छोड़ा गया रस्ता, पू०-नीज विक्रेता, प०-रस्ता,
कुल रकबा:-				0.08	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अपर निबंधक, गढ़वा को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता
गढ़वा


अपर समाहर्ता
गढ़वा